कार्यालय पुलिस उपायुक्त, सुरक्षा, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 17-06-2024

विषय:- **दिनांक 18.06.2024 को मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त सुरक्षा द्वारा मंदिर सुरक्षा ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग कर दर्शनार्थियों से की गई अपील।**

दिनांक 18.06.2024 को मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त सुरक्षा श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए दर्शनार्थियों से अपील की गई, जो निम्नवत है-

1. श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया है कि **दर्शन हेतु आये हुए सभी दर्शनार्थियों/श्रद्धालुओं की नियमानुसार चेकिंग/फ्रिस्किंग की जाये।**
2. श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में **किसी भी श्रद्धालु/दर्शनार्थी/व्यक्ति का किसी भी प्रतिबन्धित वस्तु के साथ प्रवेश नही दिया जायेगा।**
3. वीवीआईपी कार्यक्रम के दृष्टिगत श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था हेतु **किसी भी श्रद्धालु/दर्शनार्थी/व्यक्ति का इलेक्ट्रानिक उपकरणों यथा- मोबाईल फोन, ईयरफोन, चार्जर आदि के साथ प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित** रहेगा।
4. श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में दर्शन-पूजन हेतु आये हुए समस्त श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों/व्यक्तियों द्वारा लाई गयी पूजन सामग्री व अन्य सामानों की भी चेकिंग की जायेगी तथा **किसी भी प्रकार के धातु (मेटल) के पात्र में दूध ले जाना प्रतिबन्धित रहेगा। धातु के पात्र के स्थान पर कागज/प्लास्टिक के बने हुए पात्र का प्रयोग की अनुमति रहेगी।**
5. परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण निर्धारित स्थान पर मौजूद रहेंगे तथा अपना परिचय पत्र अवश्य ही धारण किये रहेंगे।

मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, सुरक्षा
कमिश्नरेट वाराणसी।